सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा .सं :. NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

दिनांक : 28.11.2025

सेवा मे,

उपायुक्त
जिला लोहरदगा
समाहरणालय, लोहरदगा,
झारखंड 835302
E.mail: dc-loh@nic.in

पुलिस अधीक्षक
जिला लोहरदगा
पुलिस अधीक्षक कार्यालय,
लोहरदगा, झारखंड 835302
E.mail: sp-lohardaga@jhpolice.gov.in

विषय: प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में शिवराज उरॉव -श्री, ग्राम व थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा, झारखण्ड का पत्र

महोदय,

उपरोक्त विषय पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की माननीया सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 31.10.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति आपको सूचनार्थ प्रेषित है ।

भवदीय

(यो. प्र. यादव / Y. P. Yadav)
उप सचिव / Deputy Secretary
E.mail ID: rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री शिवराज उराँव,
ग्राम भंडरा,
थाना भंडरा जिला लोहरदगा,
लोहरदगा, झारखंड
Mobile No:8825314153

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा. सं. NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

श्री शिवराज उराँव, ग्राम व थाना-भण्डरा, जिला-लोहरदगा (झारखण्ड) - प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में दिनांक 31.10.2025 को दोपहर 04:20 बजे आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में हुई सिटिंग का कार्यवृत्त।

सुनवाई की तिथि एवं समय : 31.10.2025 को 04:20 बजे अपराह्न
सुनवाई में उपस्थित प्रतिभागी : अनुलग्नक-I के अनुसार

आवेदक शिवराज उराँव, ग्राम भण्डरा, थाना भण्डरा, जिला लोहरदगा के स्थायी निवासी हैं। उनकी पुश्तैनी जमीन खाता संख्या 145, प्लॉट संख्या 1519 एवं 1521, रकबा 0.10 डिसमिल, वर्ष 1932 एवं 1989 के खतियान तथा वर्तमान पंजी-II में उनके दादा भण्डरा उराँव एवं देवठनिया उराँव आदि के नाम दर्ज है और उस पर अब तक नियमित रूप से मालगुजारी रसीद कटती आ रही है। उक्त जमीन पर वर्ष 2018 से अमोद प्रसाद साहू एवं उनके भाई कृष्णा साहू ने जबरन कब्जा कर होटल का निर्माण कर लिया है। जब आवेदक ने अपनी जमीन खाली करने की बात कही तो प्रतिवादी गाली-गलौज एवं मारपीट करने लगे तथा जान से मारने की धमकी दी। उनका कहना है कि यह जमीन उन्होंने आवेदक के बड़े बाबा से 99 वर्षों के लिए खरीद ली है, इसलिए अब वापस नहीं करेंगे। आवेदक एक गरीब आदिवासी परिवार से हैं, जिनके पास इसके अलावा सड़क किनारे और कोई जमीन नहीं है जिससे वे अपना आजीविका चला सकें। आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण वे लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने में भी असमर्थ हैं। इसलिए आवेदक निवेदन करता है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर से अवैध कब्जा हटाकर उन्हें उनकी जमीन वापस दिलाई जाए ताकि वे छोटा-मोटा व्यवसाय कर जीवन-यापन कर सकें।

2. आयोग द्वारा दिनांक 29.05.2025 को जारी नोटिस के माध्यम से जिलाधिकारी तथा जिला पुलिस अधीक्षक , लोहरदगा (झारखण्ड) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।

3. संबन्धित विभाग से दिनांक 13.09.2025 जिलाधिकारी, लोहरदगा (झारखण्ड) से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे आयोग को अवगत कराया गया की मामले को संज्ञान में लेते हुए कानूनी प्रावधान के तहत् अनुसूचित क्षेत्र विनियम 1969 छोटानागपुर टेनेन्सी (संशोधन) 1908 की धारा 71 (A) के तहत् भूमि वलसी वाद संख्या 06/2025-26 पंजीकृत किया गया है तथा उक्त वाद में अंतिम सुनवाई दिनांक 24.09.2025 को निर्धारित है।

4. प्रकरण में प्रथम सुनवाई दिनांक 18.09.2025 एवं द्वितीय सुनवाई 09.10.2025 को निर्धारित की गई थी, किन्तु संबंधित अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण सुनवाई सम्पन्न नहीं हो सकी।

5. मामले की गंभीरता को देखते हुए तथा शिकायतकर्ता के लगातार अनुरोध पर आयोग द्वारा संबंधित अधिकारियों के साथ सुनवाई पुनः दिनांक 31.10.2025 को निर्धारित की गई और तदनुसार उन्हें समन जारी किए गए।

आशा लकड़ा

6. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा (झारखण्ड) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। अभ्यावेदक भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए।

7. सुनवाई के दौरान जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, लोहरदगा द्वारा यह अवगत कराया गया कि कार्यालय पत्रांक 1252/रा०, दिनांक 06.10.2025 के संदर्भ में न्यायालय, उप समाहर्ता (भूमि सुधार), लोहरदगा द्वारा भूमि वापसी वाद संख्या 06/2025-26, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71(क) के अंतर्गत दिनांक 18.10.2025 को खतियानी भूमि प्रार्थी के पक्ष में वापस करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त आदेश के अनुपालन में दिनांक 29.10.2025 को प्रार्थी शिवराज उराँव को संबंधित भूमि पर विधिवत दखल-कब्जा दिला दिया गया है।

आयोग द्वारा मामले में निम्नलिखित अनुशंसाए की जाती हैं :

(I) चूँकि प्रार्थी को संबंधित भूमि पर विधिवत दखल-कब्जा दिला दिया गया है, अतः इस प्रकरण में आयोग द्वारा किसी प्रकार की अग्रिम कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, यह मामला आयोग में बंद किया जाता है।

आशा लकड़ा
12/11/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Attendance Sheet
National Commission for Scheduled Tribes

NCST/DEV-5009/JH/88/2025-RU-IV

Sitting to be held on **31.10.2025 at 04.20 P.M-** प्रार्थी की खातियानी जमीन पर अवैध कब्जा हटवाने के संबंध में **श्री -शिवराज उराँव**, ग्राम व थानाभण्डरा-, जिला लोहरदगा (झारखण्ड) का पत्र।

Sl. No.	Name and Designation	Address & Phone No.	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra Hon'ble Member	In Chair	
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav Deputy Secretary		
3.	Shri H.R. Meena Consultant		
4	Shri Rahul Investigator		
5.	Ms. Riya Investigator		
6.	Shri Rahul Yadav Legal Consultant		
7.			
II	**Officers from O/o Deputy Commissioner, Lohardaga, Jharkhand**		
1.	Communication Through VC		
2.			
3.			
III	**Officers from O/o Superintendent of Police, Lohardaga, Jharkhand**		
1.	Through VC		
2.			
3			
IV	**Petitioners**		